प्रथम प्रति

श्री गणेश

गृह निर्माण सहकारी समितियों

की

आदर्श उपविधियाँ

1990

RECEIVED 9.4.91

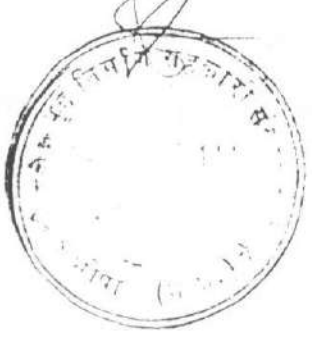

[घ] सदस्यों को उनके आवास निर्माण के लिए नवीन मकान/फ्लेट बनाने हेतु एवं पुराने मकानों के स्थान पर नवीन मकान बनाने हेतु ऋण की व्यवस्था कर ऋण प्रदान करना।

[छ] सदस्यों के भवनों में अतिरिक्त कार्य या मरम्मत आदि करना व करवाना।

[ज] जल प्रदाय, नाली, प्रकाश व इसी प्रकार की अन्य आवश्यक उपयोगी व्यवस्था रखना और प्रदाय करना।

[झ] सदस्यों के लिए विकसित की जाने वाली कालोनी में सामाजिक मनोरंजन तथा शैक्षणिक संरचना स्थापित करना और उन्हें चलाना।

[ट] उक्त सभी या किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी आकस्मिक और उपयोगी कार्य करना।

उपविधि क्रमांक - 4 : पूंजी एवं निधियां :–

संस्था द्वारा आवश्यक पूंजी निम्नलिखित साधनों से एकत्रित की जावेगी।

1. अंश निर्वहन द्वारा।
2. प्रवेश शुल्क लेकर।
3. अमानत जमा कराकर या अग्रिम धन लेकर।
4. ऋण लेकर।
5. अनुदान/सहायता/दान लेकर।
6. लाभ में से रक्षित निधि एवं अन्य निधियां बनाकर।

संस्था की पूंजी उपविधि क्र. 3 में उल्लिखित कार्यों में लगाई जावेगी। शेष पूंजी जब तक कि उसकी अन्य कार्यों के लिए आवश्यकता न हो अधिनियम की धारा 44 के अनुसार विनियोजित की जावेगी।

उपविधि क्रमांक–5 सदस्यता :–

संस्था का सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति में निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक है :–

1. वह संस्था के कार्यक्षेत्र का स्थाई निवासी हो और उसने संस्था की उपविधियों को पढ़कर मान्य कर लिया हो, पुनरीक्षित
2. उसका आचरण अच्छा हो,

3. उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो अनुबन्ध करने में सक्षम हो, परन्तु मृत सदस्यों के अल्पवय उत्तराधिकारियों के लिए आयु का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। परन्तु अवयस्क की न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक के माध्यम से सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे सदस्य अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने संरक्षक के माध्यम से अधिकार का उपयोग उन दायित्वों के अधीन रहते हुए करेंगे जो इन उपविधियों में अधिकार हैं,

4. उसने अंश क्रय हेतु रु. 500/- की राशि व प्रवेश शुल्क (रु. 50/-) जमा कर दिया हो,

5. उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो,

6. उसे राजनैतिक ढंग की सजा को छोड़कर किसी नैतिकता सम्बन्धी अपराध में दण्डित न किया गया हो, परन्तु यदि दण्ड की अवधि से पांच वर्ष व्यतीत हो गये हों तो यह अयोग्यता लागू नहीं होगी।

7. उसे किसी सहकारी संस्था अथवा शासकीय सेवा से निकाला (डिसमिस) न किया गया हो।

8. वह अधिनियम की धारा 48-ए के अधीन निरर्हित न हो।

9. उसका मध्यप्रदेश में स्वयं के नाम अथवा पति/पत्नी, अवयस्क संतान, के नाम कोई भूखण्ड/भवन या बहुमंजिली इमारत में फ्लेट न हो।

10. वह स्वयं या उसके पति/पत्नी/अवयस्क बच्चों में से कोई मध्यप्रदेश में कार्यरत किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था का सदस्य न हो।

11. एक परिवार में से पति/पत्नी या उनके अवयस्क पुत्र/पुत्री में से कोई एक सदस्य ही संस्था का सदस्य बन सकेगा।

12. यदि उसका बालिग पुत्र/अविवाहित बालिग पुत्री उसी अथवा अन्य संस्था में सदस्य है तो वह शपथ-पत्र पर घोषणा करेगा कि पुत्र/पुत्री, पिता से अलग रहती है।

13. .....

.....

.....

[ब] संस्था में निम्न व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकेंगे:—

1. जिसके द्वारा पूर्व में मध्यप्रदेश में स्थित किसी सहकारी संस्था से कभी कोई प्लाट, भवन या बहुमंजिली फ्लेट प्राप्त कर या मकान बनाकर तत्पश्चात उसे बेच दिया गया हो तथा प्लाट/भवन प्राप्त किये 10 वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो।

2. जिसका स्वयं का, पति/पत्नी या अवयस्क पुत्र/पुत्री या साथ रहने पर बालिग पुत्र/अविवाहित बालिग पुत्री का मध्यप्रदेश में प्लाट, भवन या फ्लेट हो।

3. एक ही परिवार के एक से अधिक व्यक्ति संस्था के सदस्य नहीं बन सकते।

4. वह स्वयं या उसके पति/पत्नी/अवयस्क बच्चों में से कोई मध्यप्रदेश में कार्यरत किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था का सदस्य हो।

परन्तु यदि इन उपविधियों के प्रभावशील होने के पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपरोक्त क्रमांक (1) से (4) तक की कोई अर्हता रखता हो किन्तु उसके सदस्य बनने के समय प्रभावशील उपविधियों के अन्तर्गत वह सदस्य बनने का पात्र रहा हो, सदस्य बनकर प्लाट/भवन आवंटित किया जा चुका हो, तो उसे संस्था के सदस्य के रूप में प्राप्त अधिकार यथावत् बने रहेंगे।

उपविधि क्रमांक—6 :—

आरम्भ में सदस्य वे होंगे जिन्होंने संस्था के पंजीयन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया हो। उसके उपरान्त नये सदस्य प्रबन्ध समिति की स्वीकृति से सम्मिलित किये जावेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व कमजोर वर्ग के व्यक्ति को सदस्यता देने में प्राथमिकता दी जावेगी। कमजोर वर्ग की परिभाषा समय-समय पर पंजीयन सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई जावेंगी जो संस्था को मान्य करनी होंगी।

उपविधि क्रमांक - 7 (1) :—

संस्था में आवेदनपत्र के साथ रु. 50/-प्रवेश शुल्क, तथा रु. 500/- के अंश क्रय करने के लिए धनाराशि जमा करनी होगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए रु. 50/— सदस्यता शुल्क एवं अंश क्रय हेतु रु. 100/— कुल मिलाकर रु. 150/— जमा करना पर्याप्त होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के व्यक्तियों को शेष रु. 400/- के अंश भूमि/भवन आवंटन के पूर्व क्रय करने अनिवार्य होंगे। किन्तु संशोधनों के पूर्व बन चुके सदस्यों को अतिरिक्त राशि के अंश-क्रय करने अनिवार्य नहीं होंगे।

-प्रमाणित

उपविधि क्रमांक - 7 (2) :–

प्रवेश शुल्क एवं अंश की राशि केवल संस्था के अध्यक्ष को सम्बोधित बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर द्वारा जमा कराई जावेगी। संस्था नगद में कोई भी राशि प्राप्त नहीं करेगी।

उपविधि क्रमांक - 7 (3) :-

संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में प्रवेश शुल्क एवं अंश क्रय के लिये जमा कराई गई राशि वापस कर दी जायेगी।

उपविधि क्रमांक - 7 (4) :-

प्रथमश: संस्था की कुल सदस्य संख्या 400 से अधिक नहीं होगी। 400 सदस्यों के लिए भू-खण्ड/मकान/ऋण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने के बाद संस्था अपनी साधारण सभा में सदस्य संख्या बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर सकेगी, जिसका क्रियान्वयन पंजीयक सहकारी संस्थायें म. प्र. भोपाल, की लिखित स्वीकृति के बाद ही किया जावेगा। यदि पंजीयक संस्था द्वारा अपने सदस्यों के लिए किए गए कार्य, संस्था के पास उपलब्ध भूमि एवं अन्य स्थितियों को देखते हुये संतुष्ट नहीं कि संस्था 400 से अधिक सदस्यों के लिये भू-खण्ड/मकान/ऋण व्यवस्था करने हेतु सक्षम हो सकेगी, तो पंजीयक सहकारी संस्थायें म. प्र. भोपाल संस्था को 400 से अधिक सदस्य नहीं बनाने का प्रतिबन्ध लगा सकेंगे।

उपविधि क्रमांक - 8 (1) :-

सदस्यता अंश क्रय करने के लिये संस्था के अध्यक्ष को इन उपविधियों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना-पत्र देना होगा। सदस्यता के प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक विधिवत सत्यापित शपथ पत्र देना होगा जिसमें उपविधि क्रमांक-5 में सदस्यता हेतु जो अर्हतायें दर्शाई गई हैं, वे अर्हतायें आवेदक की हैं, या शपथ पत्र पर सत्यापन व घोषणा करनी होगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था के प्रबन्धक को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 8 (2) :-

संस्था की सदस्यता हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन को अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्धक द्वारा प्राप्त किया जावेगा और अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि प्रबन्ध समिति की प्रत्येक बैठक में उस बैठक तक प्राप्त हुए सभी सदस्यता आवेदनों को

प्रबन्ध समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत करे, जिन पर प्रबन्ध समिति अधिनियम, नियमों व उपविधियों के अधीन स्वीकृत/अस्वीकृत करने सम्बन्धी निर्णय लेगी।

उपविधि क्रमांक - 9 (1) :–

सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का निराकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के बाद प्रबन्ध समिति की प्रथम बैठक में किया जावेगा। किसी व्यक्ति को संस्था की सदस्यता तभी दी जा सकेगी :—

1. जब उसने सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम 14 की शर्तें पूरी की हों।
2. वह उपविधि क्रं. 5 में उल्लेखित अर्हतायें रखता हो।
3. उसने उपविधि क्रं. 7 व 8 का पालन किया हो।

उपविधि क्रमांक - 9 (2) :--

प्रबन्ध समिति को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्तानुसार पूर्ण आवेदन को स्वीकृत करे या उल्लिखित कारणों से अस्वीकृत करे। किन्तु यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो प्रबन्ध समिति के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह आवेदन पत्र की अस्वीकृति के 15 दिन के अन्दर आवेदक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या व्यक्तिशः तामीली द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत होने सम्बन्धी कारणों की लिखित जानकारी जिस पर संस्था के अध्यक्ष या प्रबन्धक हस्ताक्षर करेंगे, संसूचित करे। निर्णय की सूचना प्रबन्धक द्वारा भेजी जावेगी। आवेदन पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर आवेदक प्रबन्ध समिति के निर्णय के विरुद्ध पंजीयक को अपील कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 9 (3) :--

संस्था द्वारा सदस्यता आवेदन पंजी तथा सदस्यता पंजी के रूप में दो पृथक-पृथक पंजियाँ संधारित की जावेगी। प्रथम पंजी में संस्था में नवीन सदस्यता हेतु एवं सदस्यता समाप्ति हेतु प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टि की जावेगी तथा दूसरी पंजी (सदस्यता पंजी) में सदस्यता प्रदान करते ही सदस्य के सम्बन्ध में प्रविष्टी अंकित की जावेगी। इन दोनों पंजियों में प्रविष्टियां क्रमानुसार ही की जावेंगी और किसी भी स्थिति में इसका कोई अपवाद नहीं होगा।

उपविधि-क्रमांक - 10 : रजिस्ट्रर :-

क. प्रत्येक सदस्य को सदस्यता के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे और अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार होगा जिसको कि सदस्य की मृत्यु पर उसकी यदि कोई धनराशि जमा हो तो वह दी जा सके। उत्तराधिकारी मनोनीत करने के उपरांत यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो नये उत्तराधिकारी के नाम दो साक्षियों के समक्ष लिखा जा सकेगा तथा आवेदक व साक्षियों के हस्ताक्षर लिए जावेंगे।

ख. प्रत्येक सदस्य को लिखकर देना होगा कि संस्था की उपविधियों का और उपविधियों में जो भी संशोधन उसकी सदस्यता की अवधि में होंगे, वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेगा।

उपविधि क्रमांक - 11 : सदस्यता से त्याग-पत्र :-

संस्था का कोई भी सदस्य संस्था में इन उपविधियों के साथ संलग्न प्रारूप में लिखित आवेदन-पत्र देकर सदस्यता समाप्ति हेतु निवेदन कर सकेगा। किन्तु ऐसे त्याग-पत्र के साथ सदस्य को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या अनुविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित एक शपथ-पत्र जिसमें त्याग-पत्र के कारणों का उल्लेख होगा, संलग्न करना आवश्यक होगा। त्याग-पत्र हेतु आवेदन संस्था के अध्यक्ष को सम्बोधित होगा और अध्यक्ष तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबन्धक को सौंपा जा सकेगा। संस्था की प्रबन्ध समिति त्याग-पत्र प्राप्त होने पर अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा त्याग-पत्र को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। किन्तु ऐसे आवेदन-पत्र को जिसमें प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र संलग्न न हों, अपूर्ण त्याग-पत्र माना जावेगा और स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। यदि त्याग-पत्र अस्वीकार किया जाता है तो उसके कारण अभिलिखित करने अनिवार्य होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि संस्था के मूल प्रस्तावक सदस्यों में से कोई सदस्य त्याग-पत्र देता है तो वह तभी प्रभावशील होगा जब पंजीयक प्रस्तावक सदस्य के त्याग-पत्र को स्वीकार किए जाने सम्बन्धी निर्णय को अनुमोदित कर दे।

प्रमाणित

उपविधि क्रमांक - 12 :-

कोई सदस्य तदाशय हेतु आमंत्रित प्रबन्ध समिति की बैठक में उपस्थित एवं मतदान की पात्रता रखने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित में से किन्हीं कारणों से संस्था की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा।

क. कोई ऐसा कार्य, जिससे कि संस्था की साख को क्षति पहुँचने की सम्भावना हो या जिससे उसकी कुख्याति होने की सम्भावना हो, साशय करता है, या

ख. मिथ्या कथनों द्वारा संस्था को जान-बूझकर प्रवंचित करता है, या

ग. कोई ऐसा कारोबार करता है जो संस्था द्वारा किए जाने वाले कारोबार के समान हो या जिसके सम्बन्ध में यह सम्भावना हो कि वह सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले कारोबार की प्रतिद्वन्द्विता में आता है, या

घ. अपने द्वारा देय धनों का भुगतान करने में बार-बार व्यतिक्रम करता है या उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक करता है।

परन्तु कोई भी ऐसा संकल्प तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि सम्बन्धित सदस्य को उसे निष्कासित करने सम्बन्धी प्रस्थापना की सात दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा न दे दी गई हो और जब तक कि उसे अपने मामले के सम्बन्ध में समिति के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।

उपविधि क्रमांक - 13 : सदस्यता की समाप्ति :–

निम्नलिखित में से किसी एक भी कारण से किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जावेगी :—

1. मृत्यु हो जाने पर,
2. उपविधि क्रं. 11 के अनुसार त्याग-पत्र स्वीकृत होने पर।
3. उसके द्वारा धारित अंश किसी अन्य को स्थानान्तरित हो जाने पर।
4. उपनियम क्रं. 12 के अन्तर्गत निष्कासित किये जाने पर।
5. किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर संस्था देय राशि का भुगतान सदस्य पर बकाया के समायोजन के उपरान्त एक वर्ष की अवधि में कर देगी। किन्तु वह सदस्यता समाप्ति से दो वर्ष तक संस्था के उन सभी ऋणों के लिए देनदार होगा जो उसकी सदस्यता समाप्ति की तिथि को देय थी।
6. सदस्य की मृत्यु की दशा में संस्था में उसके अंशों या जमा राशि में से, उसे वापसी योग्य राशि कम करके शेष राशि उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति या नामांकन के अभाव में प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार ऐसे व्यक्ति जो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी

के रूप में उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी हो, को इण्डोमिनिटी बाण्ड भरने पर भुगतान की जावेगी ।

उपविधि क्रमांक - 14 : नाम मात्र का सदस्य :–

संस्था के साथ वित्तीय सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति जैसे ठेकेदार, सप्लायर्स विक्रेता, एजेन्ट तथा उनके जमानतदार को प्रबन्ध समिति नाम मात्र का सदस्य बना सकेगी । नाम मात्र के सदस्य को अंश विक्रय नहीं किए जावेंगे किन्तु उनसे रुपए 500/– का शुल्क प्रति व्यक्ति लेकर नाम मात्र की सदस्यता प्रदान की जावेगी । ऐसे सदस्य संस्था के प्रबन्ध, मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेंगे । संस्था के साथ वित्तीय सम्बन्ध बने रहने तक वे नाम मात्र सदस्य बने रहेंगे ।

उपविधि क्रमांक - 15 : दायित्व :–

सदस्य का दायित्व संस्था द्वारा उसको प्रदत्त अंशों की राशि तक सीमित रहेगा किन्तु जो संस्था से ऋण अथवा अमानतें आदि लें ऐसे सदस्यों का दायित्व उनके अंशों के दर्शनी मूल्य के आठ गुने तक सीमित रहेगा ।

उपविधि क्रमांक - 16 : अंशपूंजी :

1. श्री गणेश गृ. नि. सह. संस्था की अधिकृत अंशपूंजी रुपये 2,00,000=00 होगी । जिसमें सौ - सौ रुपये के 2,000/– अंश होंगे । अधिकृत अंशपूंजी में से 74,000=00 रुपये के 740 अंश संस्था के सदस्यों को सदस्यता हेतु दिये जावेंगे। शेष राशि रुपये 1,26,000=00 के अंश सदस्यों को [illegible] स्वीकृत हेतु दिये जावेंगे। परन्तु अंशपूंजी में कमी या वृद्धि सम्बन्धी परिवर्तन संस्था की आमसभा के प्रस्ताव पर पंजीयक, सहकारी संस्थायें म. प्र. भोपाल की स्वीकृति से ही पंजीयक द्वारा किया जा सकेगा ।

2. प्रत्येक सदस्य को सदस्यता प्राप्ति के समय रु. 500 के अंश क्रय करना अनिवार्य होगा । किन्तु आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के व्यक्तियों के लिए सदस्यता प्राप्ति के समय अंश क्रय हेतु रु. 100/– की राशि जमा करना पर्याप्त होगी और रु. 400/– की राशि के अंश भू-खण्ड/भवन आवंटन के पूर्व क्रय किए जा सकेंगे । यदि सदस्य द्वारा संस्था से ऋण लिया जाना हो तो सदस्य को प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित ऋण राशि के अनुपात में ऋण हेतु अतिरिक्त अंश लेना आवश्यक होगा । किसी भी दशा में यह अनुपात 1 : 8 से कम नहीं होगा ।

प्रमाणित

निर्माण सहकारी संस्था

3. कोई भी सदस्य संस्था के प्रदत्त अश पूंजी के 1/5 से अधिक अंश नहीं ले सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 17 :

किसी सदस्य को उसके अंश की रकम वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा पर यदि प्रबन्ध समिति चाहे तो किसी सदस्य को जिसने संस्था का सब देना चुका दिया हो, एक अंश रकम जमा रख शेष अंशों की रकम वापिस लेने की अनुमति दे सकती है।

उपविधि क्रमांक - 18 :

एक अंश प्रमाण-पत्र प्रत्येक के लिए हुए अंश अथवा अंशों के लिए दिया जावेगा जिस पर अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के हस्ताक्षर होंगे और संस्था की मुद्रा लगाई जावेगी। किसी सदस्य को अपना अंश अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति संस्था का सदस्य न हो अथवा जिसे संस्था ने सदस्य बनाना स्वीकृत न किया हो और प्रत्येक स्थिति में हस्तान्तरण उस समय तक नहीं हो सकेगा जब तक कि प्रबन्ध समिति ने उसकी स्वीकृति न दी हो एवं रुपए 10/–हस्तान्तर करने का शुल्क जमा न हुआ हो। जब तक कि अंश का हस्तान्तरण संस्था के रजिस्टरों में नहीं लिखा जाता, उस समय तक जिसके नाम से हस्तान्तर होगा उसका कोई अधिकार समिति के विरुद्ध प्राप्त नही होगा न उसका परिणाम उस विवाद पर होगा जो संस्था ने अंश हस्तान्तर करने वाले पर किया हो।

उपविधि क्रमांक - 19 :

संस्था प्रत्येक सहकारी वर्ष में उसकी प्रदत्त अंशपूंजी का 1/10 भाग ही सदस्यों की अंशपूंजी उन्हें वापस कर सकेगी। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इससे अधिक अंश राशि एक वर्ष में वापस करना हो तो विशेष परिस्थिति दर्शाते हुए पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश से पूर्वानुमति प्राप्त कर अंश राशि वापस की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक - 20 : ऋण तथा अमानतें :–

1. संस्था अपनी कुल प्रदत्त अंश पूंजी तथा रक्षित निधि में से संचित हानि को घटाने के पश्चात् शेष निजी निधि के 12 गुने तक ऋण और अमानत ले सकेगी।
2. संस्था अपने सदस्यों के लिए भवन निर्माण करने के उद्देश्य से प्राप्त की गई भूमि पर आवासी भवन निर्माण एवं कालोनी विकास हेतु आवास संघ, सहकारी बैंकों, ऋण देने वाली संस्थाओं अथवा शासन से ऋण ले सकेगी।

प्रमाणित

3. संस्था अपने सदस्यों से उस ब्याज दर पर जो पंजीयक द्वारा मान्य किए गए हों तथा ऐसे प्रतिबन्धों के साथ जो प्रबन्ध समिति निश्चित करे, अमानतें प्राप्त कर सकती हैं।

4. संस्था द्वारा लिए गये ऋणों के लिए अलग से पंजी रखी जावेगी जिसमें जिस प्रभार पर ऋण लिया गया हो उसकी प्रविष्टि होगी और समय-समय पर चुकाये गए ऋण मुक्त प्रभार की प्रविष्टियां की जावेंगी।

5. संस्था द्वारा जिस प्रभार पर ऋण लिया गया है ऐसे समस्त प्रभारों की सूची और लिए गये ऋण की जानकारी संस्था अपनी साधारण सभा की बैठक में सदस्यों के समक्ष करेगी।

उपविधि क्रमांक-21 : साधारण सभा (व्यापक सम्मेलन):-

संस्था के कारोबार के सम्बन्ध में साधारण सभा को पूर्ण अधिकार होंगे। वार्षिक साधारण सभा की बैठक प्रतिवर्ष सहकारी वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर आहुत की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव अथवा संस्था के कम से कम 1/10 सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें साधारण सभा बुलाए जाने का उद्देश्य हो अथवा पंजीयक के आदेश पर विशेष साधारण सभा की बैठक एक माह के अन्दर बुलाई जावेगी। संस्था के पंजीयन के पश्चात् सदस्यों की जो प्रथम साधारण सभा होगी उसको वे ही अधिकार होंगे जो इन उपविधियों में वार्षिक साधारण सभा को दिए गये हैं।

उपविधि क्रमांक-22 : गणपूर्ति (कोरम):-

साधारण सभा अथवा विशेष साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक होगी। साधारण सभा/विशेष साधारण सभा की ~~सूचना जारी करने के~~ दिनांक को संस्था की कुल सदस्यता संख्या का 1/10 भाग अथवा 50 सदस्य इनमें से जो भी कम हो गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगा।

बैठक के लिए नियत किए हुए समय पर यदि गणपूर्ति नहीं हो तो वह बैठक यदि सदस्यों की मांग पर बुलाई गई है तो स्थगित नहीं की जावेगी। बल्कि निरस्त कर दी जावेगी। अन्य स्थिति में वह दूसरी ऐसी अन्य तारीख और समय के लिये स्थगित कर दी जावेगी जो उपस्थित सदस्य निश्चित करें, किन्तु ऐसी स्थगित बैठक के लिए भी गणपूर्ति होना आवश्यक होगा। सम्मेलन के दौरान किसी भी समय गणपूर्ति हेतु पर्याप्त सदस्य उपस्थित न हों तो सम्मेलन का अध्यक्ष इस तथ्य की ओर उसका ध्यान आकृष्ट किए जाने पर या स्वप्रेरणा से सम्मेलन को ऐसी सुविधाजनक तारीख और स्थान के लिए जैसा वह

प्रमाणित

उचित समझे स्थगित कर देगा और इस स्थगित सम्मेलन जो गणपूर्ति में ही किया जावेगा, किए जाने वाले कार्य को सम्मेलन में सामान्य रीति से निपटाया जावेगा। परन्तु ऐसी स्थिति में पहले की कार्य सूची में लिए हुये विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक-23 बैठक की सूचना :-

1. आमसभा की कार्य सूची, समय तथा स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को 14 स्पष्ट दिवस पूर्व दी जावेगी।

2. उपविधियों में संशोधन की स्थिति में प्रस्तावित संशोधन की रूप-रेखा सूचना के साथ प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी।

3. साधारण/विशेष साधारण सभा की बैठक की सूचना निम्न प्रकार से दी जावेगी :—

   अ. सूचना पत्र पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिशः अभिस्वीकृति प्राप्त करके।

   ब. 14 स्पष्ट दिवस पूर्व पंजीकृत डाक से जारी की गई सूचना समय पर तालीम न होने के कारण बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

उपविधि क्रमांक-24 साधारण सभा के अधिकार :-

वार्षिक साधारण सभा में उन कार्यों के अतिरिक्त जो इन उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत हों, निम्नलिखित काम होंगे :—

1. इन उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध समिति का चुनाव करना।
2. वार्षिक पत्रक और उनसे सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट पर विचार करना।
3. लाभ का वितरण स्वीकृत करना।
4. संस्था के वार्षिक व्यय का बजट स्वीकृत करना।
5. यह निश्चित करना कि अमानतें कितनी, किस अवधि के लिए और किस ब्याज दर से ली जावें।
6. संस्था के आडिट तथा निरीक्षण टीप पर समिति द्वारा जो कार्यवाही की गई हो उसे देखना और जहां आवश्यकता हो उचित आज्ञायें देना।
7. संस्था के कार्य की देख-भाल करने हेतु एक आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति करना और उसका पारिश्रमिक निश्चित करना।

प्रमाणित

8. संस्था के कार्य संचालन के लिए उपविधियों में आवश्यक संशोधन पर विचार करना ।
9. प्रवन्ध समिति के सदस्यों पर वकाया ऋण व अन्य अग्रिम की जानकारी से अवगत कराना/होना ।
10. अन्य बातों पर विचार करना जो प्रवन्ध समिति अथवा सदस्यों की ओर से प्रस्तुत किये जावें ।

उपविधि क्रमांक - 25 :

साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 वहुमत से कोई भी सदस्य कार्य सूची में न दिया हुआ प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकता है । परन्तु ऐसा प्रस्ताव किसी सदस्य के निकाल दिए जाने अथवा निकाले हुए सदस्य को पुनः प्रवेश देने अथवा उपविधियों में संशोधन करने अथवा ब्याज की दर में कमी या वृद्धि करने के सम्बन्ध में नहीं होगा ।

उपविधि क्रमांक - 26 :

संस्था का अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि दोनों उपस्थित न हों तो संस्था के अन्य सदस्यों में से जिसको उपस्थित सदस्य निर्वाचित करें साधारण/विशेष साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा ।

परन्तु ऐसी स्थिति में जब कि अधिनियम की धारा 49 (8) के तहत पंजीयक द्वारा संस्था का कार्यभार सम्हाल लिया गया हो, अथवा धारा 53 (1) के तहत प्रबन्ध समिति को अधिष्ठित किया गया हो अथवा धारा 53 (13) के तहत निर्वाचित प्रबन्ध समिति के स्थान पर नामांकित समिति गठित की गई हो, साधारण सभा की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कीजावेगी ।

उपविधि क्रमांक - 27 :

साधारण-सभा में प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार होगा, भले ही उसने संस्था के कितने ही अंश लिए हों । कोई सदस्य अपने प्रतिनिधि द्वारा मतदान नहीं कर सकेगा । उसी सदस्य को मतदान का अधिकार प्राप्त होगा जो संस्था का कम से कम एक अंश का अधिकारी हो और जिसे मतदान दिनांक से कम से कम 40 दिन पूर्व प्रबन्ध समिति द्वारा सदस्यता स्वीकृत हो गई हो । संस्था की प्रबन्ध समिति का चुनाव अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानानुसार होगा परन्तु चुनाव के अतिरिक्त सामान्य विषयों में मतगणना हाथ उठाकर अथवा उसी पद्धति से, जो सभा के अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जावे, सम्पन्न होगी । मामलों का निर्णय सर्वसम्मति अथवा बहुमत के आधार पर होगा । समान मतों की दशा में अध्यक्ष को अपने मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

उपविधि क्रमांक - 28 : प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए अनर्हताएँ :-

कोई भी व्यक्ति प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने हेतु योग्य न होगा तथा उस रूप में अपने पद पर नहीं रहेगा यदि :—

1. वह संस्था या किसी अन्य संस्था के लिए हुए किसी ऋण या अग्रिम चुकाने में 12 माह से अधिक का व्यतिक्रमी हो। ऐसे सदस्य को प्रबन्ध समिति के निर्वाचन में मताधिकार भी नहीं रहेगा।
2. संस्था में किसी लाभ के पद पर है अथवा स्वीकार कर ले।
3. अधिनियम व नियमों के किसी प्रावधान के तहत प्रबन्ध समिति में पद धारण करने के लिए आयोग्य हो गया हो।
4. उसी प्रकार का धन्धा करता हो जो संस्था करती है।
5. संस्था के किसी कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो या हो जावे।
6. निर्वाचन दिनांक से 12 माह से अधिक समय पूर्व से संस्था का सदस्य न हो। परन्तु यह प्रबन्ध संस्था के पंजीयन के पश्चात् प्रबन्ध समिति के होने वाले प्रथम निर्वाचन के समय लागू नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य की अपात्रता की बात जानकारी में आने की तारीख से दो माह के भीतर उसे सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात् प्रबन्ध समिति उसे पद धारण करने से अयोग्य घोषित करेगी। यदि प्रबन्ध समिति उक्त अवधि में कार्यवाही करने में असफल रहे तो पंजीयक द्वारा ऐसे सदस्य को सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात उसे ऐसा पद धारण करने से लिखित आदेश द्वारा अयोग्य घोषित किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक - 29 : प्रबन्ध समिति :-

1. संस्था की एक प्रबन्ध समिति होगी। प्रबन्ध समिति में कुल सदस्य 11 होंगे जिनमें से 8 सदस्य आम सभा द्वारा निर्वाचित किये जावेंगे। इनमें से एक स्थान महिला के लिए आरक्षित रहेगा। 3 मनोनीत सदस्यों में से एक सदस्य पंजीयक का प्रतिनिधि, एक सदस्य जिले के कलेक्टर का प्रतिनिधि जो नायब तहसीलदार स्तर से कम का न हो तथा तीसरा सदस्य आवास संघ का प्रतिनिधि जिसे मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के प्रबन्ध संचालक द्वारा मनोनीत किया जावे, होगा। प्रबंध समिति के लिए राज्य शासन साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए एक-एक पद आरक्षित कर सकेगा।

किन्तु आगामी चुनाव पर्यन्त इस उपविधि के प्रभावशील होते समय कार्यरत प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी और इस उपविधि के प्रावधान आगामी चुनाव के समय तथा उसके बाद लागू होंगे ।

2. आरक्षित स्थान निर्वाचन द्वारा न भरे जाने की स्थिति में प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन के पश्चात सहयोजन के लिए आयोजित बैठक में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वर्ग के सदस्यों में से सहयोजन द्वारा करेंगे जिसके लिए स्थान आरक्षित हैं ।

3. गणपूर्ति के अभाव में सहयोजन नहीं किया जावेगा ।

4. आरक्षित स्थान निर्वाचन अथवा सहयोजन द्वारा न भरे जाने की दशा में पंजीयक उसी वर्ग के सदस्यों में से, जिसके लिए कि वह स्थान आरक्षित है, नामांकन द्वारा पूर्ति करेंगे ।

5. प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन होने पर प्रबन्ध समिति अपने में से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

6. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा सहयोजन की बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी करेगा ।

7. समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति 1/2 अथवा 5 इनमें से जो अधिक हो, होगी।

8. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का कार्य काल पांच वर्ष का होगा । पांच वर्ष की अवधि की गणना प्रबन्ध समिति की प्रथम बैठक जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो, के दिनांक से होगी ।

9. पंजीयन के समय गठित अन्तरिम प्रबन्ध समिति का कार्यकाल केवल तीन माह तक का होगा । तीन माह की अवधि में ही नवीन प्रबन्ध समिति का निर्वाचन कराना होगा । परन्तु विशेष परिस्थिति में पंजीयक की अनुमति से गठित अन्तरिम कमेटी के कार्यकाल में अधिकतम तीन माह की वृद्धि और की जा सकेगी ।

10. कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट पद को दो से अधिक क्रमवर्ती निर्वाचित कार्यकाल अथवा 17 वर्ष की लगातार कालावधि के लिए, इनमें से जो भी कम हो धारण नहीं करेगा ।

उपविधि क्रमांक - 30 (1) :

अन्य सहकारी संस्थाएँ जिनसे कि संस्था सम्बद्ध हो, में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रबन्ध समिति अपने में से ही करेगी तथा उक्त बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन

धिकारी करेगा। ऐसे प्रतिनिधियों का कार्यकाल उस संस्था की प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के समरूप होगा जिसके लिए प्रतिनिधि चुना गया है।

उपविधि क्रमांक - 30 (2) :

प्रबन्ध समिति के कार्यकाल में हुए उसके सदस्य अथवा प्रतिनिधि के किसी आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्ध समिति के सदस्यों के द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से सहयोजन द्वारा समिति के शेष कार्यकाल तक की अवधि के लिए की जावेगी। कोरम पूर्ति के अभाव में सहयोजन नहीं किया जावेगा। ऐसी बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की आकस्मिक रिक्ति होने पर नये अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जावेगा।

उपविधि क्रमांक - 31 :

इन उपविधियों के अनुसार तथा आम सभा के समय-समय पर विधि अनुसार किये हुए ठहराव के अधीन संस्था का कारोबार चलाने के लिए प्रबन्ध समिति को पूरे अधिकार होंगे। वे सब कार्य जो प्रबन्ध समिति ने अथवा किसी ने प्रबन्ध समिति के सदस्य होने के नाते किए हों, यद्यपि बाद में यह मालूम हो कि प्रबन्ध समिति का चुनाव या उसके किसी सदस्य का निर्वाचन सहकारी संस्था के विधान या उसके अन्तर्गत नियम या उपविधियों के विरुद्ध था, उसी प्रकार उचित समझे जावेंगे जिस प्रकार प्रबन्ध समिति या उसके किसी ऐसे सदस्य का निर्वाचन उक्त विधान नियम या उपविधियों के अनुसार होने पर उचित होते।

उपविधि-क्रमांक - 32 :

प्रबन्ध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी। परन्तु कम से कम तीन माह में एक बार बैठक अवश्य बुलाई जावेगी। यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में प्रबंध समिति की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो प्रबंध समिति उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रबंध समिति की सदस्यता से अलग कर सकती है। ऐसा अलग हुआ सदस्य फिर एक वर्ष तक प्रबंध समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 33 :

सब प्रस्तावों का निर्णय बहुमत से किया जावेगा। दोनों पक्षों में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। कोई ऐसा प्रश्न

जिसमें प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य का निजी सम्बंध हो तो उस समय वह सदस्य समिति की बैठक में सम्मिलित न हो सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 34 (1) : प्रबन्ध समिति के कर्तव्य तथा अधिकार :-

1. उन ठहरावों का पालन करते हुए जो आम सभा समय-समय पर पारित करे, मोल लेना, प्राप्त करना, पट्टे पर लेना, गिरवी रखना, किराये पर देना, अपने रखना, बेचना, बदलना, अपनी भूमि शिकमी पट्टे पर देना, भूमि भवन बनाने य बनाना, भवन बनाना, नालियाँ बनवाना एवं प्रकाश आदि की व्यवस्था करना अन्य ऐसे काम करना जो उपरोक्त कार्यों हेतु आवश्यक हों।

2. संस्था के समस्त वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, उनको अधिकार देना, पदोन्नत करना, उन्हें अवकाश स्वीकृत करना, उनसे आवश्यक प्रतिभूति (जमान लेना।

3. आम सभा द्वारा स्वीकृत बजट के अन्दर खर्च करना।

4. नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान करना और उनके अंश स्वीकृत करना तथा सदस्य के सदस्यता, अंश स्वीकृति एवं अंश वापसी सम्बंधी प्रार्थना पत्रों पर विचार कर और उनको स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना।

5. संस्था के काम-काज सम्बंधी शिकायतों को सुनना और उसका निराकरण करना।

6. आवश्यकतानुसार संस्था की ओर से ऋण लेना और यह तय करना कि ऋण देने वेजों पर संस्था की ओर से कौन हस्ताक्षर करेगा।

7. सदस्यों के त्याग-पत्र स्वीकार करना और उनके निष्कासन पर निर्णय लेना।

8. अमानतें प्राप्त करना।

9. प्रबन्धक के कार्यों की जाँच करना और यह देखना कि संस्था के हिसाब के तथा अन्य रजिस्टर ठीक प्रकार से रखे जाते हैं।

10. जो वैधानिक कार्यवाही अथवा वाद संस्था की ओर से अथवा उनके किसी अधिकारी के अथवा कर्मचारी के विरुद्ध संस्था के कारोबार के सम्बन्ध में हो उनमें पैरवी करना समझौता करना अथवा वाद वापस लेना तथा संस्था की ओर से पैरवी करने के लिए संस्था के किसी संचालक को या कर्मचारी को अधिकृत करना।

11. पंजीयक, सहकारी अंकेक्षक तथा विभागीय अधिकारियों तथा ऐसी संघीय संस्था जिसकी वह संस्था सदस्य हो, के अधिकारियों को संस्था के निरीक्षण हेतु कागजात

प्रमाणित

रजिस्टर, प्रस्तुत करना और उनके अंकेक्षण तथा निरीक्षण टीपों का पालन करना और उनका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अपने पालन प्रतिवेदन और उत्तरों को साधारण सभा में प्रस्तुत करना।

वार्षिक आय व्यय पत्रक बनाना और आगामी वर्ष के लिए आय एवं व्यय का पत्रक बनाकर साधारण सभा में प्रस्तुत करना।

पंजीयक द्वारा अंकित अंकेक्षण शुल्क आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर शासकीय कोषालय में जमा करना।

संस्था की ओर से जिनमें संस्था सम्बद्ध हो, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा अन्य सहकारी संस्थाओं के अंश क्रय करना, अंश वापस करना और आवश्यक हस्ताक्षर करना।

अधिनियम की धारा 44 के अनुसार पूंजी का विनियोजन करना।

उपविधि क्र. 21 के अनुसार आम सभा/विशेषसाधारण सभा की बैठक बुलाना।

प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्यों में से अन्य संस्थाओं के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन कराना।

प्रत्येक सहकारी वर्ष 31 मार्च के अन्त में संस्था के वित्तीय पत्रक तैयर कर पंजीयक को प्रस्तुत करना।

प्रबन्ध समिति के सदस्यों के त्याग-पत्र प्रस्तुत होने से उन पर विचार करना एवं स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

संस्था के कारोबार के संचालन के सम्बंध में अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों को दृष्टिगत रखते हुए पूरक नियम बनाना और आमसभा से अनुमोदन के पश्चात पंजीयक से पूर्वानुमोदन लेकर तदनुसार कार्य करना।

वे सब कार्य करना जो संस्था के संचालन के लिए आवश्यक हों और जिनके सम्बंध में विशेष अधिकार अधिनियम, नियम या इन उपविधियों के अनुसार आमसभा में प्रत्यायित वेष्ठित न हों।

उपविधि क्रमांक - 34 (2) :-

प्रबंध समिति अपने अधिकारों में से कोई अधिकार (क्रमांक-1, 4, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 21 को छोड़कर) अध्यक्ष या प्रबंधक को सौंप सकेगी, किन्तु प्रबंध

समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा किये गये कार्यों का विव प्रबंध समिति की बैठक में पुष्टि हेतु रखना अनिवार्य होगा।

उपविधि क्रमांक - 35 :

वह सब कार्यवाही जो कि प्रबंध समिति की बैठक में प्रस्तुत हुई हो और जि सम्बंध में चर्चा अथवा निर्णय हुआ हो, कार्यवाही पुस्तक में लिखी जावेगी। कार्यव विवरण प्रबन्धक द्वारा लिखा जावेगा और उस पर अध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित सदस्यों हस्ताक्षर होंगे। कार्यवाही पंजी संस्था के प्रबंधक की अभिरक्षा में रहेगी। अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर बैठक समाप्त होने के तत्काल बाद निर्णय/प्रस्ताव के विव के ठीक नीचे लिये जावेंगे।

उपविधि क्रमांक - 36 :

बैठक की कार्यसूची, समय, तारीख तथा स्थान की सूचना जो अध्यक्ष व प्रबन्ध द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगी बैठक के पाँच दिन पहले जारी की जावेगी। सूचन पत्र व्यक्तिशः तामील कराया जावेगा अथवा नामांकित सदस्य के कार्यालय पर व अशा कीय सदस्य के निवास स्थान पर उसके साथ निवास करने वाले किसी सम्बन्धी बालि व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर छोड़ा जावेगा। चलित बैठक द्वारा कोई निर्णय नहीं लि जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 37 : अपील :-

संस्था की प्रबन्ध समिति/अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / प्रबन्धक द्वारा पारित आदेश के विरु आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर पंजीयक समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक - 38 : (1) अध्यक्ष :-

अध्यक्ष संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रहेगा। साधारण सभा तथा प्रबन्ध समिति के प्रस्तावों में शामिल निर्णयों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने का दायित्व अध्यक्ष का होगा। अध्यक्ष प्रबन्धक तथा अन्य कर्मचारियों के काम की देखभाल करेगा वह इन अधिकारों को काम में लावेगा जो प्रबन्ध समिति ने उसको दिये हैं।

उपविधि क्रमांक-38 : (2) उपाध्यक्ष :-

संस्था में एक उपाध्यक्ष होगा जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबन्ध समिति की बैठकों

की अध्यक्षता करेगा। जब अध्यक्ष को अस्वस्थता अथवा अन्य किसी कारण से प्रबन्ध समिति द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया हो तो अवकाश की अवधि में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के उन अधिकारों का उपयोग करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा लिखित में सौंपे जावें।

उपविधि क्रमांक - 39 : (1) प्रबन्धक :-

प्रबन्ध समिति एक प्रबन्धक नियुक्त करेगी जिसे वेतन/पारिश्रमिक दिया जावेगा। जिले के उप/सहायक यदि पंजीयक, संस्था के हित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो मुख्यालय से अनुमति प्राप्त कर किसी विभागीय कर्मचारी को प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतिनियुक्ति पर दे सकेगा और संस्था की प्रबन्ध समिति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उसे स्वीकार कर प्रबन्धक के पद पर नियुक्त करे।

उपविधि क्रमांक - 39 (2) :

प्रबन्धक पद पर केवल उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी जो :-

1. कम से कम माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त हो।
2. किसी अन्य सहकारी संस्था की प्रबन्ध समिति का सदस्य न हो।
3. किसी सहकारी संस्था के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद पर कभी भी कार्यरत न रहा हो।
4. संस्था का सदस्य न हो।
5. किसी सहकारी संस्था की सेवा या शासकीय सेवा से हटाया या बर्खास्त न किया गया हो।
6. किसी अपराध में सजा न हुई हो और दिवालिया घोषित न किया गया हो।

उपविधि क्रमांक - 40 :

प्रबन्धक संस्था की प्रबन्ध समिति व अध्यक्ष के सामान्य नियन्त्रण में काम करेगा। उसके कर्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगे :-

1. निर्धारित आवश्यक रजिस्टरों तथा अन्य कागजातों को व्यवस्थित और चालू रखना।
2. पावतियां, रसीदें, व्हाउचर्स, चैक तथा दस्तावेज तैयार करना। रसीद, चैक आदि पर अध्यक्ष अथवा उस व्यक्ति के, जिसे कि प्रबन्ध समिति ने यह अधिकार दिया हो, हस्ताक्षर कराना।
3. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना। अध्यक्ष की सहमति से आमसभा, प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाना। प्रबन्ध समिति के निर्णयों की उपविधियों के अनुसार सूचना देना।

4. आमसभा तथा समिति की बैठक में उपस्थित रहना तथा उनकी कार्यवाही कार्य पुस्तिका में लिखना। कार्यवाही वितरण के ठीक नीचे उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कराना।

5. प्रतिवर्ष 30 अप्रैल के पूर्व गत वर्ष के आय-व्यय तथा वार्षिक पत्रक तैयार कराना और 31 मई तक नियमों में निर्धारित अधिकारी को भेजना।

6. रजिस्टरों की प्रतिलिपि को प्रमाणित करना।

7. अंकेक्षक तथा अन्य अधिकारियों की आडिट तथा निरीक्षण टीपों को उत्तर सहित प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

8. स्वीकृत बजट के भीतर प्रबन्ध समिति द्वारा दिए हुए अधिकारों के अनुसार व्यय करना।

9. समिति के द्वारा एकत्रित होने वाली समस्त धनराशि सम्बन्धित सहकारी केन्द्रीय बैंक में जमा करना।

10. वे अन्य कार्य करना जो प्रबन्ध समिति द्वारा सौंपे जावें।

उपविधि क्रमांक - 41 :भूमि का क्रय/अर्जन आदि :–

संस्था द्वारा केवल वही भूमि प्राप्त की जावेगी जो उसके कार्यक्षेत्र के अन्दर स्थित हो और जो नगर भूमि (सीमा तथा विनियमन) अधिनियम 1976 के प्रावधानों से मुक्त हो या राज्य शासन द्वारा मुक्त कर दी गई हो। ऐसी भूमि, जो नगर भूमि अधिनियम 1976 के सीलिंग सम्बन्धी प्रावधानों से मुक्त न हो, को क्रय करने का करार संस्था नहीं करेगी, किन्तु ऐसी भूमि का भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य अर्जन किया जा सकेगा। संस्था केवल वही भूमि क्रय/अर्जित करेगी जो सम्बन्धित क्षेत्र के मास्टर प्लान में आवासीय प्रयोजन हेतु सुरक्षित रखी गई हो। जहां मास्टर प्लान प्रभावशील नहीं हुआ हो, वहां केवल वही भूमि क्रय/अर्जित की जावेगी जिस पर आवासीय कालोनी का विकास किया जाना सम्बन्धी स्थानीय क्षेत्र में लागू रेग्यूलेशन के तहत सम्भव हो और तदाशय का प्रमाणीकरण सम्बन्धित स्थानीय संस्था तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कर दिया गया हो। केन्द्रीय अथवा राज्य शासन, विकास प्राधिकरण या स्थानीय संस्था के अथवा किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित/प्रस्तावित क्षेत्र में भी संस्था द्वारा सीधे कोई भूमि क्रय नहीं की जावेगी। किन्तु ऐसे क्षेत्रों में शासन/विकास प्राधिकरण/गृह निर्माण मण्डल/स्थानीय संस्था से आवासीय भूमि प्राप्त करने को प्राथमिकता दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक - 42 : कालोनी का विकास एवं प्लाटों का हस्तान्तरण :-

संस्था कालोनी का विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व तथा सदस्यों को प्लाटों का हस्तान्तरण करने के पूर्व निम्नलिखित अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करेगी :-

1. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर से कालोनाइजर लायसेंस,
2. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से डायवर्शन की अनुमति,
3. यदि संस्था का कार्यक्षेत्र ऐसे शहर में है जहाँ नगर भूमि (सीमा तथा विनियमन) अधिनियम 1976 लागू है तो सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र,
4. संयुक्त/उप संचालक, नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र नियोजन से कालोनी के ले आऊट का अनुमोदन,
5. नगर निगम/नगर पालिका परिषद से कालोनी के ले आऊट को स्वीकृति,
6. नजूल अधिकारी से कालोनी के क्षेत्र में शासकीय भूमि न होने संबंधी प्रमाण-पत्र,
7. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण नियमावली के नियम 10 के अन्तर्गत फार्म-4 में जिला कलेक्टर से कालोनी के विकास की लिखित अनुमति,
8. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून/रेग्यूलेशन के तहत प्रावधानित अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

उपविधि क्रमांक–43 (1) : भू-खण्ड/भवन का हस्तान्तरण :-

कोई भी सदस्य संस्था से प्राप्त भू-खण्ड/भवन का 10 वर्ष की अवधि तक किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करेगा। किन्तु इसमें कोई ऋण प्राप्त करने के लिए भू-खण्ड भवन को बंधक रखना शामिल नहीं होगा। सदस्य को भू-खण्ड प्राप्त करने के तीन वर्ष के अन्दर भवन निर्मित करना आवश्यक होगा। यदि किसी कारणवश तीन वर्ष में भवन निर्मित किया जाना सम्भव न हो तो सदस्य द्वारा लिखित आवेदन किये जाने पर प्रबन्ध समिति सदस्य को भवन निर्माण हेतु अधिकतम दो बार 1-1 वर्ष का समय स्वीकृति कर सकेगी। यदि सदस्य तीन वर्ष की अवधि में अथवा प्रबन्ध समिति से अनुमति प्राप्त कर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में भवन का निर्माण नहीं कर सका तो भू-खण्ड संस्था के पक्ष में समर्पित हो जावेगा और सदस्य को इन उपविधियों के अनुसार उसके द्वारा भू-खण्ड के लिए जमा की गई राशि मय ब्याज के वापस की जावेगी।

परन्तु संस्था के जिन सदस्यों को इन उपविधियों के प्रभावशील होने के पूर्व भू-खण्ड/ भवन आदि हस्तान्तरित कर दिये हैं, वे भू-खण्ड/भवन हस्तान्तरण के समय प्रवृत्त उप-विधियों/हस्तान्तरण दस्तावेज की शर्तों से ही नियंत्रित होंगे और भविष्य में होने वाले हस्तान्तरण इस उपविधि से नियंत्रित होंगे।

उपविधि क्रमांक - 43 (2) :–

संस्था द्वारा सदस्य को भू-खण्ड हस्तान्तरित करते समय हस्तान्तरण दस्तावेज में निम्नलिखित शर्तों का समावेश किया जाना अनिवार्य होगा :–

1. यह कि सदस्य 10 वर्ष तक भू-खण्ड/उस पर बनाये गये भवन का हस्तान्तरण नहीं करेगा।
2. यदि 10 वर्ष की अवधि के अन्दर सदस्य को भू-खण्ड/भवन के हस्तान्तरण की आवश्यकता पड़े तो वह भू-खण्ड को संस्था के पक्ष में समर्पित कर भू-खण्ड के लिए जमा की गई धनराशि वापस प्राप्त कर सकेगा। राशि वापस करते समय डाकघर बचत दर पर साधारण ब्याज का भुगतान किया जावेगा।
3. सदस्य को भू-खण्ड प्राप्ती के 3 वर्ष के अन्दर भवन निर्माण कराना अनिवार्य होगा। सदस्य के लिखित आवेदन पर संस्था द्वारा यह अवधि अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। तीन वर्ष की अवधि में संस्था द्वारा लिखित अनुमति दिये जाने पर अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि में भवन निर्माण न होने पर भू-खण्ड संस्था के पक्ष में समर्पित माना जावेगा। भू-खण्ड का समर्पण होने पर सदस्य द्वारा भू-खण्ड के लिए संस्था को दी गई भू-खण्ड की क्रय राशि और डाकघर बचत खाता की ब्याज दर पर ब्याज की राशि वापिस प्राप्त कर सकेगा।/

परन्तु इन उपविधियों के प्रभावशील होने के पूर्व जिन सदस्यों के पक्ष में हस्तान्तरण दस्तावेज निष्पादित कर दिये गये हों, वे पूर्व में निष्पादित दस्तावेजों की शर्तों से ही नियंत्रित होंगे।

उपविधि क्रमांक - 44 भवन निर्माण :–

1. साधारणतया सदस्य भवन स्वयं बनावेंगे परन्तु यदि सदस्यों की ऐसी इच्छा हो तो संस्था सदस्यों के खर्चे से और उनकी जोखमदारी पर भवन बनाने का जिम्मा ले सकती है। संस्था किसी हानि के लिए जो ऐसे भवन की तैयारी के कारण हो, किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगी। जब संस्था भवन बनाना अपने जिम्मे ले तो, वह सदस्य से वह मूल्य जो अनुमान किया गया हो, पूरा अथवा किश्तों में जैसा कि प्रबन्ध समिति निश्चय करे, जमा करा लेगी। यदि भवन संस्था के लिए हुए ऋण

प्रमाणित

से बनाना हो तो सदस्य को ऋण की लिखितम संस्था में लिखकर उसकी रकम लेने का अधिकार संस्था को देना होगा।

2. आमसभा की स्वीकृति से संस्था भवन बनाकर संस्था के सदस्य को क्रय-किराये की प्रथा से बेच सकेगी और जो भवन इस प्रकार न बिके उनको किराये पर दे सकेगी।

उपविधि क्रमांक - 45 :

संस्था के सदस्य कालोनी के स्वीकृत किए हुए नक्शों के अनुसार भवन बनायेंगे। भवन संस्था के स्वीकृत किए हुए नक्शों के विपरीत बना हुआ पाये जाने पर प्रबन्धसमिति को अधिकार होगा कि वह सदस्य से उनको दिया हुआ ऋण मय ब्याज के एक मुश्त वसूल कर ले।

उपविधि क्रमांक - 46 :

यदि सदस्य ने भवन निर्माण हेतु संस्था से ऋण लिया हो तो ऋण की पहली किस्त मिलने की तारीख से दो महीने के अन्दर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए।

यदि कोई सदस्य निश्चित समय के अन्दर भवन बनाना शुरू न करे। अथवा उसे पूरा न करे तो प्रबन्ध समिति को अधिकार होगा वह उसके बनाने का कार्य अपने हाथ में लेकर पूरा करे और जो खर्च लगे वह सदस्य के ऋण खाते नामे डाल दे।

उपविधि क्रमांक - 47 :

प्रत्येक सदस्य जिसने भवन निर्माण हेतु संस्था से ऋण लिया हो निर्माण कार्य के दौरान संस्था द्वारा निरीक्षण करावेगा और भवन का मूल्यांकन करने देगा। इसी प्रकार शेष ऋण की सुरक्षा एवं जाँच के लिए सदस्य वार्षिक निरीक्षण करावेगा।

उपविधि क्रमांक - 48 :

कोई सदस्य किसी प्लाट या निर्मित भवन को जो संस्था से ऋण लेकर खरीदा या बनाया गया हो केवल उस व्यक्ति को ही हस्तान्तरित कर सकेगा जो संस्था का सदस्य हो अथवा जिसे प्रबन्ध समिति ने सदस्य स्वीकार किया हो।

उपविधि-क्रमांक - 49 :

जब तक संस्था से लिया गया ऋण पूरा चुकता न हो जावे, भवन को अच्छी स्थि में रखना होगा। यदि भवन किराये पर दिया जाता है तो किरायेदार से संस्था अनुब करेगी जिसके तहत सम्पूर्ण किराया संस्था में सदस्य के ऋण खाते में जमा करने की व्य रखी जावेगी। सेवारत सदस्य का यदि स्थानान्तरण हो जावे तो उसे अपना भवन संस्था को सौंप देना होगा, जो उसको उचित किराये पर उठाकर प्राप्त होने वाली राशि से सदस्य को समिति द्वारा दिये गये ऋण खाते में जमा करेगी।

उपविधि क्रमांक–50 :

यदि सदस्य अपना भवन स्वयं बनावे तो उसकी प्रार्थना पर संस्था मजदूर, कारीग और भवन के लिए लगने वाले सामान की सम्मिलित व्यवस्था कर सकती है। ऐसी स्थि में संस्था केवल एजेन्ट के नाते काम करेगी और ऐसे काम में होने वाली किसी प्रकार हानि की उत्तरदायी नहीं होगी।

उपविधि क्रमांक - 51 :

यदि संस्था पानी, प्रकाश, नालियों की सफाई आदि का कोई प्रबन्ध करे तो, ऐसा शुल्क जो उचित हो सदस्यों से वसूल कर सकती है।

उपविधि क्रमांक - 52 : ऋण :–

ऋण केवल सदस्यों को ही दिया जायेगा किन्तु कोई भी सदस्य ऋण प्राप्त कर के लिए उसका स्वत्व नहीं बना सकेगा। ऋण के प्रार्थना पत्रों का निर्णय प्रबन्ध समिति करेगी।

उपविधि क्रमांक - 53 :

ऋण के प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में अध्यक्ष या प्रबन्धक को दिये जावेंगे, और उसका कर्तव्य होगा कि उसको प्रबन्ध समिति में प्रस्तुत करें।

उपविधि क्रमांक–54 :

भूमि क्रय करने, भवन बनाने अथवा भवन में वृद्धि करने के लिए ही ऋण दिये जा सकेंगे।

उपविधि क्रमांक - 55 :

कोई सदस्य किसी समय संस्था में जमा किए हुए अंशों की रकम के उतने गुने से अधिक रकम के लिए संस्था से ऋण नहीं लेगा जितना कि पंजीयक निर्धारित करे।

उपविधि क्रमांक - 56 :

जो ऋण संस्था से दिया जावेगा उस पर प्रचलित ब्याज दर पर ब्याज प्रतिवर्ष लिया जावेगा।

उपविधि क्रमांक - 57 :

ऋण लेने वाले की भूमि की प्रतिभूति पर मय किसी भवन अथवा अन्य निर्माण के जो उस पर हो और जो ऋण लेने के समय हो अथवा चालू रखने की अवधि में बनाये गये हों, ऋण दिया जावेगा। जब आवश्यकता हो समिति दूसरी प्रतिभूति, अन्य सम्पत्ति के रूप में या व्यक्तिगत प्रतिभूति के रूप में ले सकती है।

उपविधि क्रमांक - 58 :

नये भवन बनाने अथवा उनमें वृद्धि करने के लिए जो ऋण स्वीकृत किए जावेंगे। वे किश्तों में स्वीकृत किए जावेंगे। जैसे-जैसे भवन बनाने का काम चलता जावेगा वे रिलीज किए जावेंगे बाद में ऋण की किश्ते उसी समय दी जावेंगी। जब प्रबन्ध समिति इस बात को देख लेगी कि जो रकम पहले दी जा चुकी है उसका योग्य उपयोग किया गया है, और जो निर्माण काम हुआ है वह भूमि का मूल्य मिलाकर उस रकम के बराबर है जो ऋण पेटे वह उस समय तक ले चुका है।

उपविधि क्रमांक - 59 :

यदि प्रबन्ध समिति को मालूम हो कि संस्था से लिए गए ऋण का उचित उपयोग नहीं किया गया है तो वह उस अवधि तक जिसके लिए ऋण दिया गया था प्रतीक्षा न करते हुए सम्पूर्ण ऋण ब्याज सहित वसूल करने की शीघ्र कार्यवाही करेगी।

उपविधि क्रमांक - 60 :

प्रत्येक सदस्य जिसने संस्था से ऋण लिया हो, ऋण की रकम ब्याज सहित प्रतिमाह

समान किश्तों में जमा करेगा। किस्त प्रत्येक महीने में 15 तारीख को अथवा इसके पह दी जावेगी। किश्त समय पर जमा न होने की स्थिति में उस पर ऐसी दर पर वार्षि ब्याज एवं दण्ड ब्याज जो प्रबन्ध समिति निर्धारित करे, लिया जावेगा। ऋण अदायगी है 30 वर्ष से अधिक समय की किस्तें नहीं की जावेगी।

उपविधि क्रमांक - 61 :

ऋण लेने वाले सदस्य को अधिकार होगा कि किसी समय निश्चित की हुई किश्त की रकम से अधिक रकम दे सकता है अथवा सब ऋण एक ही समय में पूरा चुका दे। ज रकम मासिक किश्त से अतिरिक्त वसूल होगी उसका जमा खर्च मूल रकम को कम करने किया जावेगा। परन्तु आगामी मासिक किश्त आगे नहीं बढ़ाई जावेगी।

उपविधि क्रमांक - 62 :

सदस्यों से जो रकम प्राप्त होगी वह नीचे बताये अनुसार जमा की जावेगी :-

(1) दण्ड ब्याज, डाक व्यय, रजिस्ट्री खर्च तथा अन्य जो उससे लेना हो।

(2) ब्याज।

(3) मूल।

ब्याज प्रतिवर्ष 31 मार्च को या अन्य तिथि को, जैसा प्रबन्ध समिति तय करे, दे होगा। ऋण की कटमिति विधि से कुल अवधि का ब्याज लगाकर वह रकम उतनी मा किस्तों में वसूल की जावेगी जितनी किश्तों में ऋण वसूल करना निश्चित हुआ हो। दण ब्याज पहले देना होगा परन्तु ऋण देने वाली संस्था द्वारा उसके ऋण का ब्याज लेने संबंध जो नियम बनाये गये हों, उनको दृष्टि में रखकर सदस्यों से ब्याज लेने की उपरोक्त रीति में उचित परिवर्तन करने का प्रबन्ध समिति को अधिकार होगा।

उपविधि क्रमांक - 63 :

नया भवन बनाने के लिए अथवा उसमें वृद्धि करने के लिए दिये हुये ऋण की पहली किश्त उस तारीख से एक मास, जिस तारीख को वह भवन जिसके लिये ऋण दिया गया हो बनकर तैयार हो गयो अथवा ऋण की पहली किश्त की रकम के देने की तारीख से

12 माह के बाद, इनमें जो पहले आवे, देय होगी । उस भवन, जिसके निर्माण हेतु ऋण लिया गया है, के पूर्णतः निर्मित होने तक ऋण पर एकत्रित होने वाला ब्याज भवन निर्माण पूर्ण होने पर या ऋण की प्रथम अंशिका देने के 12 माह बाद, जो भी पहले हो, एक मुश्त देय होगा । यदि ऐसा न हो सका तो दण्ड ब्याज कालातीत रकम पर वसूल किया जावेगा । यदि कोई सदस्य अग्रिम रूप से मासिक ब्याज की रकम कर्ज की प्रथम अंशिका प्राप्त होने के अगले माह से जमा करना शुरू करता है तो ऐसा करने में आक्षेप नहीं है ।

उपविधि क्रमांक - 64 :

यदि सदस्य किसी विशेष कारण से निश्चित किश्त किसी समय न दे सके । तो समाधान होने पर वर्ष में अधिक से अधिक दो बार शिथिलता बरती जाकर अवधि दी जा सकती है । परन्तु ब्याज की कुल देय रकम वर्ष समाप्त होने से पहले जमा करना आवश्यक होगा । यदि किसी ऋण पर ऐसी रकम बाकी रह जावे तो मुद्दत अथवा दो मासिक किश्तों के बराबर हो और प्रबन्ध समिति अवधि देना उचित न समझे तो कुल ऋण ब्याज सहित देय होगा ।

उपविधि क्रमांक - 65 :

संस्था को पूरा अधिकार होगा कि अंश की अमानत कीअथवा अन्य रकम जो जमा हो वह सब अथवा उसका कुछ भाग अपने लोन पेटे जमा कर ले ।

उपविधि क्रमांक - 66 :

उपविधि क्रमांक 65 के अनुसार सदस्य अथवा पिछले सदस्य से अंश आदि की रकमें ऋण में से वसूल हुई रकम तथा लाभांश की रकम, सब मिलाकर जमा होने के बाद भी यदि संस्था का उस सदस्य से अथवा पिछले सदस्य से कुछ लेना बाकी रहे तो वह सदस्य बाकी ऋण का देनदार होगा और संस्था को अधिकार होगा कि उसकी वसूली के लिए ऐसी कार्यवाही करे, जो वह उचित समझे ।

उपविधि क्रमांक - 67 :

उपविधि क्रमांक 66 के अनुसार संस्था अपने अधिकार का उपयोग करते हुए व्यतिक्रमी सदस्यों के हितों को जो संस्था की सम्पत्ति में हो उस प्रकार जैसा वह उचित समझे

नीलाम कर सकती है, परन्तु ऐसा नीलाम उस समय तक नहीं किया जावेगा जब तक कि सदस्य को उनके द्वारा देय रकम उसे जमा करने का तकाजा, और रकम न चुकाने की स्थिति में हित नीलाम करा देने सम्बन्धी सूचना पत्र न दे दिया जावे ऐसा नोटिस डाकघर से रजिस्ट्री द्वारा उस समय अथवा पूर्व सदस्य को अथवा ऐसे व्यक्ति को यदि कोई हो, जो इन हितों का अधिकारी हो, पंजीयत पते पर भेज दिया जावेगा, और सूचना-पत्र मिलने के 7 दिन के भीतर यदि रकम जमा न हुई तो नीलाम किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक - 68 :

ऊपर बताये गये अधिकार के अनुसार नीलाम हो जाने पर संस्था क्रय करने वाले व्यक्ति का नाम उन हितों के सम्बन्ध में जो बेचे गये हों, रजिस्टर में लिखेगी।

उपविधि क्रमांक - 69 :

नीलाम की रकम संस्था के ऋण पेटे जमा की जावेगी। यदि कुछ रकम बाकी बचेगी तो वह सदस्य को अथवा पूर्व सदस्य को वापिस दे दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक - 70 :

जबकि कोई ऋण उपविधि क्र. 64 के अनुसार एक मुश्त वसूल करना निश्चित हो तो ऋण का खाता बन्द करके मुद्दत बाकी रकम की तथा खाता बन्द करने की तारीख तक उस पर जो ब्याज हो, संस्था उसकी सूचना ऋणी सदस्य को देगी। इस रकम पर अथवा कुल रकम पर, जो उस समय बाकी निकलती हो, प्रचलित ब्याज दर से खाता बन्द करने की तारीख से वसूली तारीख तक ब्याज लिया जावेगा और वसूली के लिए वैधानिक कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

परन्तु खाता बन्द करने के तीन माह के भीतर ऋणी की ओर से पूरी किश्त अथवा किश्तों की बाकी ब्याज सहित जमा होने पर संस्था बाकी रकम ऐसी किश्तों में जो पहले ही गिरवी नामें में लिखी थी देने की अनुमति ऋण से नया गिरवी नामा लिखने के बाद दे सकती है, परन्तु किश्तों को नई करने की अनुमति देने से पहले संस्था को ऋण देने वाली सहकारी बैंक या आवास संघ अथवा अन्य संस्था से स्वीकृति प्राप्त करना होगा।

उपविधि क्रमांक - 71 :

यदि कोई सदस्य उपविधि क्र. 12 के अनुसार निकाल दिया गया हो तो सदस्य के ऋण का खाता यदि कोई हो, उन प्रतिबन्धों को विचार में न लेते हुए जिनके अनुसार ऋण दिया गया था, बन्द कर दिया जावेगा और जो रकम ब्याज सहित उसकी ओर निकलती होगी, उसकी वसूली की कार्यवाही की जावेगी। खाता बन्द करने की तारीख से वसूली तक ब्याज प्रचलित ब्याज दर से लिया जावेगा।

उपविधि क्रमांक - 72 :

प्रत्येक ऋण लेने वाले सदस्य को अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में उसकी आयु के बीमे की पालिसी को पूर्णतया अथवा अंशतया संस्था के अधिकार में अधिकृत(अथराइज्ड) करने के लिये कहा जा सकता है। ऐसे बीमे की पालिसी पूरी आयु की होनी चाहिए अथवा उस अवधि से कम की नहीं होनी चाहिए, जिसमें कि संस्था का ऋण चुकाया जाना हो। ऐसे बीमे की पालिसी के प्रीमियम की रकम संस्था से दी जावेगी जो सदस्य के ऋण पेटे ली जानी तय हो।

उपविधि क्रमांक - 73 : सदस्य पास बुक :–

प्रत्येक सदस्य के पास एक पासबुक होगी। जिसमें प्रबन्धक ऐसी सब रकमों की प्रविष्टि करेगा जो उसको दी गई हों, अथवा उसकी ओर से जमा की गई हों।

उपविधि क्रमांक - 74 : अन्य पंजियाँ :–

1. संस्था को-(1) सदस्य पूंजी, (2) सदस्यता/त्यागपत्र आवेदन पंजी,, (3) केश बुक, (4) कार्यवाही पंजी, (5)ऋण खाता पंजी, (6) आवक पंजी, (7)जावक पंजी, (8) डाक टिकिट पंजी, (9) स्टेशनरी पंजी, (10) रसीद कट्टा, । ये पंजियाँ रखना अनिवार्य होगा।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसी पंजियों जिन्हें संस्था संधारित करना आवश्यक समझे अथवा जो पंजियाँ आवास संघ अथवा पंजीयक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित की जावें या अधिनियम, नियम उपविधियों में प्रावधानित हों, का संधारण किया जाना अनिवार्य होगा।

उपविधि क्रमांक - 75 : संस्था की मुद्रा :-

संस्था की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/प्रबन्धक के पास रहेगी। यह मुद्रा ऐसे लिखित पर ही लगाई जायेगी जिस पर प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा प्रबन्ध समिति के ऐसे सदस्यों के हस्ताक्षर हों जिन्हें प्रबन्ध समिति ने इस सम्बन्ध में अधिकार दिया हो।

उपविधि क्रमांक - 76 : लाभ :-

साधारण सभा की स्वीकृति से शुद्ध लाभ (नेट प्राफिट) का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. कम से कम 25 प्रतिशत धन रक्षित निधि में,
2. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम/नियमों के अनुसार जिला सहकारी संघ को अंशदान,
3. शेष राशि में से सदस्यों को उनके हिस्सों की वसूल आई हुई धनराशि पर लाभांश के रूप में वितरण जो 10 (दस) प्रतिशत वार्षिक से अधिक न होगा। परन्तु पंजीयक की पूर्वानुमति से लाभांश में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकेगी।
4. शेष धन में संस्था के कर्मचारियों को बोनस एक्ट 1955 के प्रावधान के अनुसार बोनस,
5. अधिनियम की धारा 43 के अनुसार परोपकार सम्बन्धी आशय के लिए अंशदान दिये जाने हेतु निधि का निर्माण किया जा सकेगा जो चेरी टेबिल एण्डोमेंट एक्ट 1980 के प्रावधानानुसार संचालित होगा।
6. बाकी रकम रक्षित निधि में अथवा संस्था के सदस्यों के लिए सामाजिक, मनोरंजन व शैक्षणिक कार्यों की स्थापना हेतु निर्मित होने वाले भवन निर्माण आदि अन्य निधि में जमा की जावेगी।

उपविधि क्रमांक - 77 :

हस्तांतरित किये हुए अंशों का लाभांश उन सदस्यों को दिया जावेगा जिनके नाम पिछले वर्ष के अन्तिम दिवस पर संस्था के रजिस्टर में अंकित हों।

उपविधि क्रमांक - 78 :

किसी ऐसे सदस्य को लाभांश नहीं दिया जावेगा जिसने अंशों की मांग की रकम संस्था से लेखी सूचना-पत्र मिलने पर एक महीने के भीतर जमा न की हो। ऐसा लाभांश संस्था की सम्पत्ति होगा।

उपविधि क्रमांक - 79 :

उपविधि क्र. 78 के अनुसार लाभ के भाग के अतिरिक्त जप्त अंशों की राशि तथा प्रवेश शुल्क, अमानत में कटी हुई राशि रक्षित निधि में जमा होगी। रक्षित निधि की राशि सदस्यों में वितरित नहीं हो सकेगी और न ही कोई सदस्य उसमें से कोई अंश पाने का अधिकारी होगा। इसका उपयोग साधारण सभा के ठहराव से और सहकारी संस्थाओं के पंजीयक की स्वीकृति उपरान्त संस्था को जो हानि हुई हो उसे दूर करने के काम में लिया जा सकता है।

रक्षित निधि का उपयोग अथवा विनियोजन पंजीयक के समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार ही किया जा सकेगा।

संस्था के समापन के बाद रक्षित निधि तथा अन्य निधियों का जो धन शेष रहेगा, उसका विनियोग मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक - 80 : विवाद :-

संस्था के प्रबन्ध या कारोबार के सम्बन्ध में समस्त विवाद, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत हों, निर्णय के लिए पंजीयक को प्रस्तुत होंगे जो उक्त विधान तथा उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार उसका निर्णय करेंगे।

उपविधि क्रमांक - 81 : संशोधन :-

1. सिवाय आम सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत के इन उप-विधियों में से किसी भी उपविधि का संशोधन नहीं हो सकेगा। सम्मेलन बुलाने के सूचना-पत्र में प्रस्तावित संशोधन लिखा जावेगा और सूचना-पत्र कम से कम 14 दिन पहले दिया

जावेगा। ऐसा संशोधन उस समय तक व्यवस्था में न आ सकेगा जब तक कि पंजीयक उसको स्वीकृत कर उसका पंजीयन न कर लें।

2. उपरोक्त (1) के तहत प्राप्त संशोधन का पंजीयन सक्षम अधिकारी (उप/सहायक पंजीयक) द्वारा पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश की पूर्व लिखित अनुमति बाद ही किया जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 82 : सूचना पत्र की तामीली :–

इन उपविधियों में जहां कहीं भी उल्लेख है कि किसी भी सदस्य को लिखित सूचना-पत्र दिया जावेगा तो ऐसा सूचना-पत्र ऐसे सदस्य को स्वयं दिया जाये अथवा पंजीकृत डाक से उसके पते पर जो संस्था के रजिस्टर में नोट किया हुआ हो भेजा जावेगा।

उपविधि क्रमांक - 83 :

1. अन्य बातें जिनका उल्लेख इन उपविधियों में न किया गया हो, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार की जावेगी।

2. उपविधियों की व्याख्या का अधिकार पंजीयक को होगा। व्याख्या के सम्बन्ध में उत्पन्न विवादों पर पंजीयक की राय अन्तिम होगी।

3. संस्था के चुनाव मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, उसके अन्तर्गत निर्मित नियम इन उपविधियों तथा पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कराये जावेंगे।

उपविधि क्रमांक - 84 :

संस्था मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल की सदस्यता ग्रहण करेगी एवं जिला सहकारी संघ की अनिवार्य रूप से समस्य होगी।

उपविधि क्रमांक - 85 :

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1972 के नियम 22 (1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर प्रबन्ध समिति संस्था का पता पंजीयक को प्रेषित करेगी। नियम 22 (3) में वर्णित प्रावधान अनुरूप संस्था के पंजीकृत पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना

बन्ध समिति द्वारा पंजीयक को तत्काल दी जावेगी और पंजीकृत पते में प्रस्तावित परि-र्तन पंजीयक द्वारा पंजीकृत करने के उपरान्त ही संशोधित माना जावेगा। पते में परि-र्तन को पंजीयक द्वारा पंजीकृत होने की सूचना की एक प्रति संस्था के सूचना पटल पर स्पा की जावेगी।

पविधि क्रमांक - 86 :

संस्था राज्य शासन की आवास नीति के अनुसार कार्य करेगी। पंजीयक को यह धिकार होगा कि वह संस्था को समय-समय पर संस्था या उसके सदस्यों के हित में थवा राज्य शासन की आवास नीति का पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दे सके और न निर्देशों का पालन करना संस्था के लिए बन्धनकारी होगा।

संशोधित एवं पंजीकृत

उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें
जिला-भोपाल

प्रमाणित

"प्रारूप"

परिशिष्ठ 'एक'

…………………………………… संस्था की सदस्यता हेतु आवेदन

प्रति,

अध्यक्ष,

……………………………………

गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

……………………………………

महोदय,

मैं …………………………………… गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., …………………………………… का सदस्य बनना चाहता हूं। मुझसे सम्बन्धित व्यक्तिगत विवरण निम्नानुसार है :—

1. पूरा नाम :
2. पिता का नाम :
3. आयु :
4. स्थाई पता : गली नं. लेन ……………………………

   मोहल्ला वार्ड नं. ……………………………

   ग्राम/शहर ……………………………

   जिला …………………… (म. प्र.)

प्रमाणित

5. व्यवसाय

2. मैं स्वयं मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों में से कोई भी मध्यप्रदेश में कार्यरत किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था का सदस्य नहीं है।

3. मेरे स्वयं के नाम पर, मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम पर कहीं भी कोई आवासीय भू-खण्ड, भवन नहीं है। मैंने संस्था की उपविधियाँ देख ली हैं जो मुझे स्वीकार हैं। मैं संस्था की सदस्यता ग्रहण करने हेतु सभी निर्धारित योग्यता रखता हूँ।

4. संस्था की सदस्यता हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क रु. 50/- तथा अंश प्रदाय करने हेतु आवश्यक राशि रुपये 500/- अथवा 100/- जैसी भी स्थिति हो का बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर नं. आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

5. मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ... ... है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. आवेदन पत्र के साथ प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न है। निवेदन है कि मुझे संस्था की सदस्यता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :- 1. ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर नं. ... ... -

2. शपथ पत्र

3. आय प्रमाण पत्र

(राज्य शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी का)

भवदीय

हस्ताक्षर ... ...

स्थान ... ...

प्रमाणित

दिनांक ... ...

संस्था की सदस्यता हेतु शपथ पत्र का प्रारूप :—
(नान जुडिशियल स्टाम्प पर)

शपथ–पत्र

नाम :
पिता का नाम :
आयु :
पता (पूर्ण) :
व्यवसाय :

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :—

1. मैंने ..... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. ..... की सदस्यता हेतु जो आवेदन दिया है, उस आवेदन पत्र में उल्लेखित मुझसे सम्बन्धित समस्त व्यक्तिगत जानकारी मैंने पढ़ ली है, जो सही है।

2. यह कि मेरे, मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम पर मध्यप्रदेश में कहीं भी कोई भवन/भू-खण्ड अथवा फ्लेट नहीं हैं।

3. यह कि मैं स्वयं, मेरी पत्नी/पति अवयस्क बच्चे मध्यप्रदेश में कार्यरत किसी भी सहकारी गृह निर्माण संस्था के सदस्य नहीं हैं।

4. यह कि मुझ पर आश्रित वयस्क पुत्र/पुत्री के नाम पर मध्यप्रदेश में कहीं कोई आवासीय भू-खण्ड/भवन/फ्लेट नहीं हैं।

5. यह कि मैंने, मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों में से किसी ने भी पिछले 10 वर्षों में किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था से भू-खण्ड प्राप्त कर हस्तान्तरित नहीं किया है।

6. यह कि संस्था से भू-खण्ड प्राप्त होने पर, उस पर तीन वर्ष की अवधि में अथवा संस्था से लिखित अनुमति प्राप्त कर अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि में उस पर आवासीय भवन का निर्माण कर लूंगा। यदि मैं ऐसा करने में असमर्थ रहा तो भू-खण्ड संस्था के पक्ष में समर्पित होना मान लिया जाये जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

7. यह कि मैं संस्था से भू-खण्ड प्राप्त होने पर 10 वर्ष की अवधि तक उसका हस्तान्तरण नहीं करूंगा। यदि मुझे भू-खण्ड की आवश्यकता नहीं रही तो उसे मैं संस्था के पक्ष में समर्पित कर दूंगा।

स्थान :
दिनांक :

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पेरा क्रमांक-1 से 7 लगायत तक उल्लिखित विवरण मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार सही है और इसमें कोई गलत तथ्य नहीं है।

स्थान :
दिनांक :

शपथकर्ता

परिशिष्ठ–"दो"

संस्था की सदस्यता से त्याग पत्र का प्रारूप

प्रति,

अध्यक्ष

... ...

गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

... ...

महोदय,

मैं – ... ... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. ... ... का सदस्य हूं । मेरा सदस्यता नं. ... ... है । यह कि अब मैं संस्था से अपनी सदस्यता निम्नलिखित कारणों से वापस लेना चाहता हूं :– कारण ... ...

2. निवेदन है कि संस्था की सदस्यता से मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाकर मेरे अंश की राशि निम्नलिखित पते पर लौटाने का कष्ट किया जावे ।

पता :–

... ...

... ...

... ...

3. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न है ।

संलग्न : शपथ पत्र ।

भवदीय

हस्ताक्षर ... ...

स्थान ... ...

दिनांक ... ...

सदस्यता से त्याग पत्र हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

(नान जूडिशियल स्टाम्प पर)

शपथ-पत्र

पूरा नाम :

पिता का नाम :

आयु :

स्थायी पता (पूर्ण) :

व्यवसाय :

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि :–

(1) मैं··· ··· ··· ··· — ··· ··· ···गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.··· ···· ··· का सदस्य हूं। मेरा सदस्यता नं.··· ··· ··· ··· ··· है।

(2) यह कि मैं संस्था की सदस्यता से त्याग पत्र हेतु आवेदन दे रहा हूँ। सदस्यता समाप्ति के आवेदन में उल्लेखित सभी बातें सही हैं। मैं यह त्याग-पत्र स्वेच्छा से निम्न-लिखित कारण से दे रहा हूं :–

कारण··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

स्थान :

दिनांक :

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक कथन सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 व 2 में उल्लेखित विवरण मेरी सर्वोच्च जानकारी के आधार पर सही है। इसमें कोई बात न तो गलत है और न ही छिपाई गई है।

स्थान :

दिनांक :

शपथकर्ता